

**कार्यालय**  
**उप खण्ड अधिकारी**  
**विद्युत वितरण उप खण्ड-प्रथम / द्वितीय**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**  
**डी.एल.डब्ल्यू., वाराणसी**

पत्रांक : ..... दिनांक : .....

श्री / श्रीमती .....

ए० एस० नं० .....

एस० सी० नं० .....

पोस्ट भारत बत्ती-पंखा 2

किलोवाट (एल एम.वी.-2) घरेलू कामर्शियल .....

महोदय / महोदया,

आपके विद्युत मांग पत्र के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि निम्नलिखित औपचारिकताएं

पूरी करें -

1. आपको जमा करना है रू० ..... एस.सी.सी.
2. आपको जमा करना है रू० ..... एस.एल.सी.
3. आपको जमा करना है रू० ..... जमानत राशि
4. आपको जमा करना है रू० ..... प्रोसेसिंग फीस
5. आपको जमा करना है रू० ..... मीटर चार्ज

कुल देय -

रू० .....

5. आपको निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करने हैं -

1. परिसर के विविध अध्यासी होने का प्रमाण।
2. क्रम संख्या 16 के परिप्रेक्ष्य में सर्विस लाइन आज्ञा पत्र।
3. बी एण्ड एल. फार्म 2 प्रतियों में मान्यता प्राप्त ठिकेदार द्वारा भरा हुआ।
4. हलफनाम घोषणा पत्र।
5. यदि कनेक्शन किसी फर्म के नाम से लेना है तो फर्म का घोषणा पत्र।
6. विकास प्राधिकरण / आवास विकास सोसाइटी कालोनाइजर का आवंटन पत्र एवं कब्जा प्रमाण पत्र।
7. सोसाइटी / कालोनाइजर बहु खण्डीय भवन के स्वामी का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
8. प्लॉट नं. के केस में नगर महापालिका द्वारा स्वीकृत नक्शा अनुमति प्रमाण पत्र।

उप खण्ड अधिकारी  
विद्युत वितरण उप खण्ड-प्रथम / द्वितीय  
वाराणसी

# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्राथमिकता सं.

विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम/द्वितीय

## उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

वाराणसी

पत्रांक :

दिनांक :

विषय :- निजी नलकूप तथा पंखा - बत्ती प्राप्त करने हेतु।

सेवा में,

श्री

आत्मज श्री

ग्राम

पोस्ट आफिस

ब्लाक

जिला

वाराणसी

महोदय,

आपके आदेश-पत्र दिनांक

के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपको

नलकूप के लिये

अश्वशक्ति (H.P.) तथा पंखा - बत्ती के लिये

वाट की

स्वीकृति दिनांक

को प्रदान कर दी है।

अतः कनेक्शन के सम्बन्ध में आपको निम्नलिखित शर्तों सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है।

1. सर्विस कनेक्शन चार्ज रु.
2. प्रतिभूति के रूप में (Security) निजी नलकूप रु. पंखा-बत्ती रु.  
कुल रु.
3. रुपया 5000/- (पाँच हजार मात्र) वरियता शुल्क वापस नहीं होगा।
4. आपके नलकूप की कनेक्शन देने हेतु रुपये का व्यय भार परिषद् को वहन करना होगा। जबकि कारपोरेशन द्वारा इस मद से रुपये की ही स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः यदि आप बद्धत (Excess) रुपये को जमा कर देते हैं तो वह 6 रु. प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 5 वर्षों से 10 अर्द्धवार्षिक किस्तों में वापस कर दिया जायेगा।
5. आपको कनेक्शन के लिये कारपोरेशन द्वारा निर्धारित 300 मीटर से अधिक लाइन पड़ने के कारण रु. का अधिक धन जमा करना होगा जो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
6. मीटर नीरिक्षण शुल्क को शासकीय कोष में XIII other taxes and duties from E. D. के अन्तर्गत रु. 90 जमा करना होगा।
7. आपको अपने कनेक्शन के लिये स्वयं सम्बन्धित 33 के.वी. विद्युत सब - स्टेशन से अपने वाहन द्वारा सामान की ढुलाई करनी होगी। सामान ढुलाई के साथ कारपोरेशन का चतुर श्रमिक (Skilled Labour) जायेगा तथा शीघ्र ही कार्य शुरू कर देगा।
8. आपको अपना पम्प हाऊस बनाने हेतु आवश्यक ईट, बालू तथा सीमेन्ट का प्रबन्ध करना पड़ता है। अतः उसी में से उपर्युक्त वस्तुओं को आवश्यक मात्रा अपनी लाइन व कनेक्शन हेतु भी देय होगी।
9. कनेक्शन हेतु लाइन व सब-स्टेशन बनाने में जो मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी उसका भी आपको प्रबन्ध करना पड़ेगा।
10. 15 मीटर के कुल (4 x 6 एम एम) आप द्वारा दिया जायेगा जिसका मूल्य 20/- मीटर दर से रु. 300/- (तीन सौ मात्र) प्रथम बिल में अवर अभियंता के सत्यापन के बाद समायोजित किया जायेगा।

नोट : क्रम संख्या 6, 7, 8 के अन्तर्गत आपके द्वारा किये जाने वाले खर्च को आपके स्टीमेट से कम कर दिया गया है तथा ये शर्तें 125.00 रुपये प्रति 10 मीटर की दर को कम करके 113.00 रुपये प्रति 10 मीटर की दर से दी गयी है।

1. सीमेन्ट, बालू तथा मिट्टी की आवश्यकता केवल आखिरी खम्भे तथा एंगिल-पोल तथा स्टे के लिये होगी जिसकी मात्रा निम्नलिखित दर से होगी। प्रति खम्भा..... सीमेन्ट 0.6 बोरी बालू 3 घनफीट मिट्टी 6 घनफीट प्रति स्टे सीमेन्ट 0.3 बोरी बालू 15 घनफीट मिट्टी 3 घनफीट।
  2. आपके कार्य करने के लिये..... मजदूरों की जरूरत होगी यदि आपको ऊपर लिखी शर्तें मान्य हो तो आप कृपया किसी कार्य दिवस में 10 बजे प्रातः से 13 बजे दोपहर तक गवाहों सहित इन कार्यालय में पधार कर एप्रीमेंट पर हस्ताक्षर करें।
  3. नान जुडिशियल 100.00 रुपये का जनरल स्टाम्प तथा एक रुपये का रसीदी टिकट (Revenu Stamp) ।
  4. 5 हार्सपावर के ऊपर कम्पेशन में एक टी. स्टे कैपिसिटर लगाना होगा।
  5. ऊपर लिख सब राशि जमा करने के पश्चात् जमानत व सर्विस लाइन चार्जेज के रुपये की रसीद। आपको कनेक्शन की बिजली तभी भी दी जायेगी जब आपका वायरिंग पूरा होगा और बी.एल. फार्म और मीटर डिक्लैरेशन फार्म (मीटर मुआईने के ट्रेजरी चालान सहित) अधिशासी अभियन्ता / सहायक अभियन्ता के पास जमा कर दें तथा उसकी रसीद प्राप्त कर लें।
- यदि आप उपरोक्त शर्तें इस पत्र के 30 दिन तक पूरा नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको कनेक्शन की जरूरत नहीं है और अर्नेस्टमनी का रुपया 25/- भी जब्त हो जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित  
प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ अर्दली बाजार, मण्डुवाडीह

1. सहायक अभियन्ता, विद्युत वितरण उपखण्ड, वाराणसी
2. अनुबन्ध लिपिक (स्वीकृत प्रकलन की 2 प्रति के साथ)

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड (द्वितीय)  
भिखारीपुर, पो. डी.एल.डब्ल्यू, वाराणसी

अनुलग्नक - एफ

पत्रांक ..... वि.वि.ख. - द्वि. (वा.) / दिनांक.....

सेवा में

श्री .....

ग्राम .....

जिला वाराणसी

**विषय : औद्योगिक कनेक्शन प्राप्त करने हेतु नियम व शर्तें**

महोदय,

आपके आवेदन पत्रांक संख्या ..... दिनांक ..... के  
सन्दर्भ में आपको औद्योगिक कनेक्शन हेतु ..... अ.श.का भार .....  
के लिए एवं ..... वाट लाईट एवं पंखा की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

आपसे अनुरोध है कि कनेक्शन के सम्बन्ध में किसी कार्य दिवस दिन को दो गवाहों के साथ एवं नान  
जुडिसियल स्टॉम्प पेपर रु.135/- का उपस्थिति होकर निम्नलिखित शर्तों सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है।

1. सर्विस कनेक्शन चार्ज रु. ....
2. प्रतिभूति के रूप में धनराशि रु. .... एवं पंखा बत्ती हेतु .....  
कुल रूपया . ....
3. पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत जमा की जाने वाली धनराशि रु. ....  
अतः आप निर्गत टी.सी. .... के एक माह के अन्दर उपस्थित होकर  
विद्युत कृत हेतु सब औपचारिकता पूर्ण कर लें अन्यथा यह समझा जायेगा कि आप कनेक्शन लेने हेतु इच्छुक नहीं  
है और स्वीकृत भार रद्द कर दिया जायेगा।

विनीत :

अधिशाली अभियन्ता

पत्रांक ..... वि.वि.ख.दि. (वा.) / तद दिनांक .....

1. प्रतिलिपि मय स्वीकृति प्राक्कलन के साथ उपखण्डाधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड .....  
..... वाराणसी को सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता (राजस्व), वि.वि.ख.-द्वि. (वा.) को सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विनीत :

अधिशाली अभियन्ता